an>

Title: Need to implement the recommendations of National Commission for Backward Classes regarding the ceiling of creamy layer for reservation purpose.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी विचारधारा के लोग डॉ. राममनोहर लोहिया जी के समय से एक नारा देते थे, सनसोपा ने बांधी गाँठ, पिछड़े पावें सौ में साठ, इसी भावना के साथ, इसी संघर्ष के साथ जब जनता सरकार बनी तो बी.पी.मंडल जी के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया, जिसे देश में मंडल आयोग के नाम से जाना गया। जब दोबारा समाजवादियों को वर्ष 1989-90 में मौका मिला तो उस मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उस मंडल आयोग की सिफारिश के माध्यम से पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई, यद्यपि वह भी कम है। भले ही जाति जनगणना न आई हो, पिछड़ों की तादाद आज की तारीख में 60 फीसदी से कम नहीं है। देश के अन्दर 60 फीसदी पिछड़े हैं। जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, उस मंडल आयोग की सिफारिश के बाद यह तय हुआ कि पिछड़ों को 27 फीसदी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वर्ष 1990 से वर्ष 2015, 25 साल से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज की तारीख में हिन्दुस्तान की जो सरकारी सेवाएं हैं, तमाम जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उन नौकरियों में पिछड़ों की तादाद केवल 12 फीसदी ही है। ये जो सिर्फ 12 फीसदी हैं, इसका कारण भी है, यह जो पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, वहीं इस आरक्षण के साथ-साथ क्रीमीलेयर का एक बैरियर लगा दिया गया। वह बैरियर ऐसा है, आज की तारीख में इस महंगाई के दौर में, महंगाई की हम रोज चर्चा करते हैं, आज की तारीख में केवल 6 लाख रूपए वार्षिक आय से ज्यादा वाले क्रीमीलेयर के नाम पर पिछड़ों के रिजर्वेशन से बाहर हो रहे हैं।...(व्यवधान) देश के पिछड़े वर्ग आयोग ने संस्तुति की है, सिफारिश की है कि यह आय सीमा 15 लाख रूपए वार्षिक होनी चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, आपके नेतृत्व में जो संसदीय समिति गठित है, उस समिति ने रिकमंडेशन की है कि क्रीमीलेयर की जो सीमा है, वह 20 लाख रूपए वार्षिक होनी चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से माँग करता हूँ कि मोदी जी लोहिया जी की कई मौकों पर बात कोट करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में भाषण नहीं देना है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती।

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : हम कहते हैं कि लोहिया जी ने पिछड़ों के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को पूरी तरह से लागू करें और जो क्रीमीलेयर की सीमा है, उसे बढ़ाकर 15 लाख या 20 लाख करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदया, यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्द्रा साहनी केस में इस बात को कहा है कि 27 फीसदी आरक्षण जब तक पूरा न हो जाए, तब तक पिछड़ों को अतिरिक्त मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती विजया चक्रवर्ती।

â€¦(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: उनकी अतिरिक्त भर्तियाँ की जाएं।...(व्यवधान) यह आपके माध्यम से हमारी सरकार से अपील है कि सरकार पहले पुनः भर्तियाँ करे।...(व्यवधान)